राष्ट्रीय सेवा योजना

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः— 121 / पू0वि0वि0 / रा0से0यो0 / 2022—23 दिनांकः 06.01.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी,
संबद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचंल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषयः सड़क सुरक्षा जागरूकता माह दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 तक मनाये जाने के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—43 / सत्तर / —3—2022—08(14) / 2018, दिनांक 05.01.2023 एवं पत्र संख्या—1272 / सत्तर—3—2022—08(14) / 2018, दिनांक 17.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 के दौरान उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जो निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित हैः—

1. <u>शिक्षकों का प्रशिक्षण—</u>

   अभियान के अन्तर्गत यथा संभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यो द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. <u>एन0एस0एस0 द्वारा चौराहों पर प्रचार—प्रसार—</u>

   (1) प्रत्येक दिवस को एन0एस0एस0 द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार—प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

   (2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन0एस0एस0 द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. <u>सेमिनार / गोष्ठी—</u>

   प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी / सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षण प्राचार्यो / शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी / सेमिनार में यथा सम्भव यातायात पुलिस / परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. <u>रोड सेफ्टी क्लब का गठन—</u>

   प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन कराएगा।

5. <u>जागरूकता कार्यक्रम—</u>

   अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर, पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी।

6. <u>सड़क सुरक्षा शपथ—</u>

   सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

2. उल्लेखनीय है कि एन0एस0एस0 की समस्त इकाईयों द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथा सम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल, सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, छात्र / छात्राओं के मध्य उनका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः—2

3. संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों की सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप–I व II संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि समस्त महाविद्यालय अपनी सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर दिनांक 16.10.2023 तक सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 25.10.2023 तक निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा, परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे तथा अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ समस्त सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 27.10.2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर एवं हार्डकापी के रूप में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–ई–189/तीस–3–2022, दिनांक 27.12.2022 के अनुरूप प्रारूप–II की सूचना समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने अधीन आने वाले महाविद्यालय की सूचना अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संकलित कर दिनांक 04.02.2023 तक के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com, एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ के ई–मेल–nssrclucknow@yahoo.com एवं विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0को0) विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ के ई–मेल–snoup.nss@gmail.com तथा कार्यक्रम समन्वयक, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के ई–मेल–nssvbspu.jnp@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

/

डॉ0(राज बहादुर यादव)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव माननीय कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
5. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा(रा0से0यो0को0)विभाग, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
7. प्रभारी वि0वि0 वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को वि0वि0 वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

डॉ0(राजबहादुर यादव)
कार्यक्रम समन्वयक